

पत्रांक

/एसआईडीए/स्था0

दिनांक

कार्यालय आदेश

निगम के निदेशक मण्डल की 187वीं बैठक दिनांक 12.02.1990 एवं 190वीं बैठक दिनांक 10.12.1990 के निर्णय के अनुसार निगम में लागू शासनादेश संख्या-556/चौवालिस-1-1989-20/उ0वे0रि0 दिनांक 16.09.1989 एवं वित्त सामान्य अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4-393/दस-99-200/88 दिनांक 01.07.1999 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्री नरेन्द्र मोहन द्विवेदी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के सेवानिवृत्त होने की तिथि 31.12.2021 तक उनके अर्जित अवकाश लेखे में जमा 300 (तीन सौ) दिनों के अर्जित अवकाश का नगदीकरण इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि यदि श्री नरेन्द्र मोहन द्विवेदी, सेवानिवृत्त सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी पर प्राधिकरण की कोई सामाग्री अथवा धनराशि आदि अवशेष हो तो उसे उक्त अर्जित अवकाश नगदीकरण की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।

उक्त अवकाश नगदीकरण में मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता एवं अन्य कोई प्रतिकर भत्ता देय न होंगे।

(नेहा जैन)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ संख्या 5107-11 /एसआईडीए/स्था0 51-34 दिनांक 03-02-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
2. वरिष्ठ प्रबन्धक-सिविल, निर्माण खण्ड-5, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, आगरा।
3. प्रभारी(कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. श्री नरेन्द्र मोहन द्विवेदी, सेवानिवृत्त सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, 13/42, तिलक नगर, औरैया, जिला-इटावा (यू0पी0)।
5. गार्ड फाइल।

(नेहा जैन)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी